भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1330 28.06.2019 को उत्तर के लिए नदियों में प्रदूषण का दुष्परिणाम

1330. श्री रविंद्र श्यामनारायण शुक्ला उर्फ रवि किशन :

श्री चुन्नी लाल साहू :

श्री रविन्दर कुशवाहा :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देशभर में नदियों में बढ़ते प्रदूषण के दुष्परिणामों की जांच करने एवं इसके समाधान हेतु परामर्श हेतु किसी अध्ययन समूह का गठन किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अध्ययन रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;
- (ग) निदयों को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या प्रावधान किया गया है तथा निदयों की सफाई के लिए क्या उपाय प्रस्तावित हैं; और
- (घ) क्या सरकार नदियों को प्रदूषण रहित बनाने के लिए किसी समयबद्ध योजना पर कार्य कर रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (श्री बाबुल सुप्रियो)

- (क) और (ख) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (सीपीसीबी) के सहयोग से राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत निगरानी केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से देशभर में निदयों की जल गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। जैविक प्रदूषण के एक प्रमुख संकेतक, जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) के स्तरों की दृष्टि से निगरानी परिणामों के आधार पर, सीपीसीबी देश में प्रदूषित नदी भागों की पहचान करता है। सितम्बर, 2018 की सीपीसीबी की नवीनतम रिपोर्ट में 323 निदयों में 351 प्रदूषित नदी भागों को अभिज्ञात किया गया है। जैसािक अनुबंध में विवरण दिया गया है।
- (ग) विभिन्न प्रदूषण उपशमन कार्यों जैसे अशोधित मल-जल का अवरोधन और मार्ग परिवर्तन, मल-जल बिहिस्राव प्रणाली का निर्माण, मल-जल शोधन संयंत्रों की स्थापना, कम लागत के स्वच्छता संबंधी कार्यकलाप, नदी तटाग्र/नहाने के घाटों का विकास आदि को करने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच लागत साझेदारी के आधार पर मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत विभिन्न नदियों के अभिज्ञात भागों में प्रदूषण के उपशमन में राज्य सरकारों के प्रयासों का संपूरण किया जा रहा है। एनआरसीपी के तहत कार्यों के कार्यान्वयन से नदियों में प्रदूषण की मात्रा में कमी आने के साथ-साथ उन शहरों में जहां इस कार्यकम को कार्यान्वित किया गया है, पर्यावरण और स्वच्छता की दशा में सुधार आया है।

एनआरसीपी {गंगा और उसकी सहायक निदयों को छोड़कर, जिनका प्रबंधन दिनांक 01.08.2014 से जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (एमओडब्ल्यूआर, आरडी एवं जीआर*) द्वारा किया जाता है} ने अब तक 5870.54 करोड़ रूपये की स्वीकृत लागत से देश के 16 राज्यों में फैले हुए 77 कस्बों में 34 निदयों के प्रदूषित प्रवाह क्षेत्रों को शामिल किया है तथा राज्य सरकारों को विभिन्न प्रदूषण उपशमन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 2378.73 करोड़ रूपये के केंद्रीय अंशदान की राशि जारी कर दी गई है। एनआरसीपी के अंतर्गत अब तक 2522.03 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) की मल-जल शोधन क्षमता सृजित की गई है।

राज्य सरकारें अपने बजटीय आबंटन के अलावा, अटल संरक्षण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (एएमआरयूटी) तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन तथा साथ ही जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत विभिन्न शहरों/कस्बों में मल-जल शोधन संयंत्रों (एसटीपी) सहित मल-जल संबंधी आधारभूत संरचना के सृजन के लिए भी वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं।

नगरीय अपशिष्ट जल को निदयों में गिराए जाने से पहले उसका समुचित शोधन सुनिश्चित करने हेतु सीपीसीबी द्वारा अप्रैल, 2015 में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 1 (ख) के तहत देश के सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) /प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) को अपने-अपने राज्यों में एसटीपी की स्थापना के लिए निदेश जारी किए गए हैं। सीपीसीबी द्वारा निदयों में प्रदूषण के उपशमन के लिए मल-जल का उचित शोधन और निपटान सुनिश्चित करने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत अक्तूबर, 2015 में 66 महानगरीय शहरों और राज्यों की राजधानियों के नगरीय प्राधिकरणों को भी निदेश जारी किए गए हैं।

इसके अलावा, औद्योगिक बिहस्रावों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने हेतु सीपीसीबी तथा संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बिहस्राव उत्सर्जन के मानकों के संदर्भ में उद्योग-धंधों की निगरानी की जाती है और मानकों का अनुपालन न करने पर कार्रवाई की जाती है। अनुपालन की निगरानी में सुधार लाने हेतु सीपीसीबी द्वारा विशिष्ट उद्योग-धंधों को ऑन-लाइन 24x7 बिहस्राव निगरानी तंत्र स्थापित करने के निदेश जारी किए गए हैं। सीपीसीबी द्वारा जल को अत्यधिक प्रदूषित करने वाले उद्योगों, विशेष रूप से निदयों के किनारे स्थित उद्योगों में कम से कम अपशिष्ट सृजन की संकल्पना को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं।

(घ) देश में निदयों के संरक्षण और पुन: कायाकल्प को समय-समय पर राज्य सरकारों के परामर्श से संशोधित किया गया है। मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत चिन्हित प्रदूषित नदी प्रवाह क्षेत्रों में दिशानिर्देशों की अनुरूपता के आधार पर, प्रदूषण की स्थिति, प्राथमिकता, राज्य सरकारों की इच्छानुसार उनके अनुकूलित हिस्सेदारी और योजना निधियों की उपलब्धता और उपयुक्त रणनीतियों के आधार पर कार्य शुरू किए गए हैं।

भित्रों में प्रदूषण का दुष्परिणाम⁷ के संबंध में, दिनांक 28 जून, 2019 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.1330 के भाग (क) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राज्यवार प्रदूषित नदी भाग

राज्यवार प्रदूषित नदी भाग				
क्र.सं.	राज्य का नाम	नदी के प्रदूषित नदी भागों के नाम	संख्या	
1	आंध्र प्रदेश	कुंडू, तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्णा, नागावली	5	
2	असम	भरालू, बोरसोला, दीपर बिल, डिगबोई, कमालपुर, पंचनाई, ब्रह्मपुत्र, खारसंग, पगलदिया, बराक, बरोई बेगा, बेकी, भोगदोई, बोगिनदी, बोरबिल, बोरदोईबाम, बीलमुख, बुरिहीदिंग, धनिसरी, दिखाउु, डिकरोंग, डिपलाई, दिसांग, गभारू, होलूदुंगा, जयभराली, झांजी, कलोंग, किपली, किल्लिंग, कोहरा, कुलसी, मालिनी, मोरा भराली, पाराशाली, पुथीमारी, रंगा, सामागुरी, संकोष, सिलसाको, सौरूसोला, सोन, सोनाई, तेंगा पुखुडी	44	
3	बिहार	सिरसिया, फरमार, गंगा, पुनपुन, राम रेखा, सिकरहना	6	
4	छत्तीसगढ़	हसदेव, खारून, महानदी, सेनाथ, केलो,	5	
5	दमन, दीव और दादरा नगर हवेली	दमनगंग		
6	दिल्ली	यमुना	1	
7	गोवा	साल, मांडोवी, तलपौना, असोनोरा, बिचोलिम, चपोरा, खंदीपर, सिंकुरिम, तिराकोल, वलवंत, जुआरी	11	
8	गुजरात	अम्लाखादी, भादर, भोगवो, खारी, साबरमती, विश्वमित्री, धादर, त्रिवेणी, अमरावती (नर्मदा की सहायक नदी), दमनगंगा, कोलक, माही, शेधी, तापी, अनस, बालेहवर खादी, किम, मेश्वा, मिंधौला, नर्मदा	20	
9	हरियाणा	घग्गर, यमुना	2	
10	हिमाचल प्रदेश	सुखना, मारकंडा, सिरसा, अश्वनी, ब्यास, गिरि, पब्बर	7	
11	जम्मू-कश्मीर	देविका, बाणगंगा, चुंट कोल, गवकदल, तवी, बसंटेर, चिनाब, झेलम, सिंध	9	
12	झारखंड	गरगा, संख, सुवर्णरेखा, दामोदर, जुमर, कोनार, नलकारी	7	
13	कर्नाटक	अरकावती, लक्ष्मणतीरथ, मलप्रभा, तुंगभद्रा, भद्रा, कावेरी, काबिनी, कांगिना, काली, कृष्णा, शिमशा, असंगी नल्ला, भीमा, कुमारधारा, नेत्रवथी, तुंगा, यगाची	17	
14	केरल	करमाना, भरथापूझा, कडमबयार, किचेरी, मणिमाला, पंबा, भवानी, चित्रापुझा, कदालूंधी, कल्लाई, करूवन्नूर, कव्वाई, कुप्पम, कुटटीयाडी, मोगरल, पेरियार, पेरूवंबा, पुजाकल, रामापुरम, थिरूर, उप्पला	21	
15	मध्य प्रदेश	चंबल, खान, क्षिप्रा, बेतवा, सोन, गोहद, कोलार, तापी, बिचिया, चामला, चौपन, कलीसोट, कनहन, कटनी, कुंदा, मालेई, मंदाकिनी (एम.पी.), नेवाज, पार्वती, सिमरार, टोंस, वैनगंगा	22	
16	महाराष्ट्र	गोदावरी, कालू, कुण्डलिका, मीथी, मोरना, मुला, मुथा, नीरा, वेल, भीमा, इंद्रायणी, मुला-मुथा, पवना, वेनगंगा, वर्धा, घोद, कंहन, कोलार (महा), कृष्णा, मोर, पाताल गंगा, पेधी, पेनगंगा, पूर्णा, तापी, उपमोदी, वेन्ना, वाघुर, वेना, बिंदुसार, बोरी, चंद्रभागा, दरना, गिरना, हिवारा, कोयना, पेहलर, सिना, तितुर, अंबा, भतसा, गोमाई, मंजीरा, पंचगंगा, पंजारा, रंगावली, सावित्री, सूर्या, तंसा, उलहास, वेतरना, विशष्टी	53	
17	मणिपुर	नामबुल, इम्फाल, इरील, खुगा, खुजाइरोक, लोकचाओ, मणिपुर, थौबल, वांगजिंग	09	
18	मेघालय	उमखारह, उमशिरपी, किरहुकला, ननबाह, उमट्रयु, लुखा, माइंटडू	7	
19	मिजोरम	टियाउ, तलौंग, तुईपुई, तुईवॉल, चिते, मत, सेकहा, तुईकुआल, तुईरियाल	9	
20	नगालैंड	धनसिरी, दिजूना, चाथे, दिजू, दिजूचा, सानो,	6	
21	ओडिशा	गंगुआ, गुराडी, नाला, कथाजोडी, नंदिराझोर, दाया, कुआखई, बंगुरू नाला, मेदेन, ब्राहमनी, बुधावल्लनागा, कुसुमी, महानदी, मंगाला, नागावल्ली, नूना, रतनाचीरा, रूशिकुल्या, सबुलिया, सेरूआ	19	

22	पुडुचेरी	अरासल्लर, चुन्नाम्बर	2
23	पंजाब	घग्गर, सतलुज, काली बेन, ब्यास	4
24	राजस्थान	बनास, चंबल	2
25	सिक्किम	माने खोला, रंजित, रानीचु, तीस्ता	4
26	तमिलनाडु	कावेरी, साराबंगा, थिुरूमनीमुथर, वशिष्टा, भवानी, तमबिरापानी	6
27	तेलंगाना	मूसी, मंजीरा, नक्कावागु, कराकावागु, मानेर, गोदावरी, किन्नरसानी, कृष्णा	8
28	त्रिपुरा	बुरीगांव, गुमती, होरा, जूरी, खोवाई, मानु	6
29	उत्तर प्रदेश	हिंडन, कालीनदी, वरूणा, यमुना, गोमती, गंगा, रामगंगा, बेतवा, घाघरा, राप्ती, साई, सरयू	12
30	उत्तराखंड	भेला, धेला, सुसवा, किछा, कल्याणी, गंगा, कोसी, नंदौर, पिलखर	9
31	पश्चिम बंगाल	विंधाधारी, महानंदा, चुरनी, द्वारका, गंगा, दामोदर, जलंगी, कंसी, माथाभंगा, बराकर, द्वाराकेश्वर, कलजानी, करोला, म्यूरकाशी, रूपनारायण, सिलाबती, तीस्ता	17
कुल योग			351
